

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1253 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment–cum–Renewal of Type Approval No. 1253

विषय/Sub: एविएशन टर्बाइन फ्यूल (के-50)/ Aviation Turbine Fuel (K-50)

यह घोषित किया जाता है कि हाइड्रो ट्रीटमेंट प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, मेसर्स इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड, (हलदिया रिफाइनरी), पंजीकृत कार्यालय #जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा पूर्व, मुंबई – 400 051, द्वारा स्वदेश में विकसित एवं उत्पादित "एविएशन टर्बाइन फ्यूल" केरोसिन टाइप (के-50) को संदर्भ सं. सेमिलैक/ 5070/टीए-1253, दिनांक 28 दिसंबर 2006, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1253 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलौक/ 5070/ टीए-1253/1ए/1आर, दिनांक 25 जनवरी 2012 द्वारा संशोधन सहित नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

This is to state that the "Aviation Turbine Fuel", Kerosene Type (K-50) indigenously developed and produced utilising the process of Hydro treatment by M/s. Indian Oil Corporation Ltd., (Haldia Refinery), Reg. Off. #G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra East, Mumbai – 400 051, was issued with Type Approval No.: 1253 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1253, dated: 28th December 2006. Subsequently an Amendment cum Renewal was issued vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1253/1A/1R, dated: 25th January 2012 with validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफओएल), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा।

पृष्ठ/Page 01 of 02

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, Bengaluru – 560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1253, दिनांक 28 दिसम्बर 2006 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The **Para five (05)** of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1253, Dated: 28th December 2006 is **amended** as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.**:** सेमिलैक/ CEMILAC/5070**/**टी.ए/TA- 1253/2R

दिनांक/Date : 25 January 2017

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(गंतायत गौड़ वै.'जी'/G. Gouda, Sc. 'G') स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Offg.Chief Executive (Airworthiness)

Bamin 17

Just